राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
05/2019	धारा 212 RTA	15.03.2019	25.06.2019

महावीरप्रसाद पुत्र देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
—प्रार्थी—

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
2. खींवाराम पुत्र लिछमणराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
3. शीरूराम उर्फ श्रीचन्द पुत्र लिछमणराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
4. मूलाराम पुत्र नेताराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
5. सांवरमल पुत्र नेताराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
6. श्रीभगवान पुत्र नेताराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
7. भींवाराम पुत्र नेताराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
8. राधेश्याम पुत्र स्व. रतीराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
9. गोमती पत्नी स्व. रतीराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
10. मनीराम पुत्र देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
11. इन्द्रचन्द पुत्र देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
12. शुभकरण पुत्र देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
13. रामस्वरूप पुत्र देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
14. बनारसी पत्नी देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
15. गीता पुत्री देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
16. नानू पुत्री देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
17. फूली पुत्री देवाराम जाति माली निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
18. भंवरलाल पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू (राज)

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री हकीमअहमद खां व श्री संजय भाटी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ अप्रार्थी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से उपरोक्त अनुवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 10 से 16 सगे भाई बहिन व 17 मां है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 सगे चचेरे भाई है व अप्रार्थी संख्या 8 व 9 चचेरे भाई का पुत्र व पत्नी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक दादा की औलाद है, जो ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.) के निवासी है। परिवार का वंशवृक्ष निम्न प्रकार से है:– मालाराम के वारिसान में नेताराम, भूराराम, सदूराम, देवाराम, लिछमणराम पुत्रगण हुए जिनका स्वर्गवास हो चुका है। नेताराम के वारिस मूलाराम, रतीराम, सांवलराम, शिवभगवान (श्रीभगवान), भींवाराम हैं जिनमें से रतीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस राधेश्याम पुत्र व गोमती पुत्री हैं। भूराराम का वारिस धन्नाराम पुत्र है। सदूराम लाऔलाद फौत हो चुके हैं। देवाराम के वारिसान में महावीर, मनीराम, इन्द्रचन्द, शुभकरण, रामस्वरूप, बनारसी, गीता, नानू, फूली पुत्र–पुत्रियां मौजूद हैं। लिछमणराम के वारिस खींवाराम, शीरूराम (श्रीचन्द) पुत्रगण मौजूद हैं। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दादा मालाराम के जीवनकाल से कब्जे काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 144 रकबा 85 बीघा 4 विश्वा रोही बूंटिया में स्थित थी। उक्त खसरे से प्रार्थी के दादा मालाराम ने जरिये रजिस्टर्ड तमलीकनामा दिनांक 28.05.1973 को बहक प्रार्थी महावीर प्रसाद को 17 बीघा कृषि भूमि अन्तरित कर दी थी। प्रार्थी के पिता के भाई स्वर्गीय सदुराम के लाआलौद फौत होने से विधिक रूप से कोई कानूनी वारिस नहीं होने से दादा की फौतगी के बाद प्रार्थी के पिता चारो भाईयों भूराराम 1/4 हिस्सा, लिछमणराम 1/4 हिस्सा, नेताराम 1/4 हिस्सा व देवाराम 1/4 हिस्सा के बहक बराबर बराबर कब्जा काश्त खातेदारी में स्थित दर्ज थी। उक्त पुराने खसरे की कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर 285, 597/428, 598/428, 599/428, 1019/432, 1020/432, 1021/432, 1022/424 व 1023/424 रकबा कमशः 4.12 बीघा, 15.18 बीघा, 27.04 बीघा, 11.10 बीघा, 4.05 बीघा, 4.04 बीघा, 4.04 बीघा, 3.16 बीघा व 3.17 बीघा कुल रकबा 79.10 बीघा रोही बूंटिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दादा व पिता के भाईयों के फौतगी के बाद एवं खसरा में प्रार्थी महावीरप्रसाद को तमलीक की गई 17 बीघा भूमि को छोड़कर व रीमाईश सेटलमेंट में कम करने के पश्चात उक्त खसरे में कुल 62.10 बीघा में प्रार्थी के पिता के चारों भाईयों के स्वर्गीय भूराराम 1/4 हिस्सा (15 बीघा 13 विश्वा), स्व. नेताराम 1/4 हिस्सा (15 बीघा 12 विश्वा), लिछमणराम 1/4 हिस्सा (15 बीघा 13 विश्वा), व देवाराम 1/4 हिस्सा (15 बीघा 12 विश्वा) बहक बराबर बराबर विभाजित हो गई। प्रार्थी के पिता के चारो भाईयों भूराराम, नेताराम, लिछमणराम, देवाराम की मृत्यु के बाद स्वर्गीय भूराराम के 1/4 हिस्से में उनके वारिसान का अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम 15.13 बीघा कब्जा काश्त खातेदारी में स्थित है। स्वर्गीय लिछमणराम के 1/4 हिस्से (15.13 बीघा) में उनके वारिसान खींवाराम व श्रीचंद अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता लिछमणराम ने अपने हिस्से में से 4 बीघा 12 विश्वा भूमि भंवरलाल को विक्रय कर दी थी, शेष कृषि भूमि 11.10 बीघा अप्रार्थी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

व 3 के बराबर बराबर कब्जा काश्त में स्थित है। स्व. नेताराम के 1/4 हिस्से (15.12 बीघा) में उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 4 से 7 मूलाराम, सांवरमल, श्रीभगवान, भींवाराम पुत्र स्व. रतीराम बराबर बराबर व रतीराम के हिस्से में इसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 8 व 9 बराबर बराबर कब्जा काश्त व खातेदारी में स्थित है। प्रार्थी के पिता स्व. देवाराम के फौतगी के पश्चात उनके 1/4 (15.12 बीघा) की कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के बराबर बराबर कब्जा काश्त खातेदारी में स्थित है व प्रार्थी महावीरप्रसाद को जरिये तमलीकनामा दिनांक 28.05.1973 को पूर्व ही प्राप्त कृषि भूमि कब्जे काश्त में विभाजन अनुसार काश्तकारी खातेदारी में स्थित है। जो सन् 1973 से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दादा के समय मौखिक बंटवारानुसार खसरा नम्बर पुराना 144 रकबा 85 बीघा 4 विश्वा में पैमाईश सेटलमेंट में 5 बीघा 14 विश्वा भूमि कम होने के पश्चात व 17 बीघा कृषि भूमि जरिये तमलीक नामा दिनांक 28.05.1973 को ट्रांसफर करने के बाद उक्त खसरे के नये खसरे संख्या में कुल शेष कृषि भूमि 62 बीघा 10 विश्वा प्रार्थी के पिता के चारों भाईयों के कब्जा काश्त खातेदारी में रही, परन्तु रजिस्टर्ड तमलीकनामा की गई कृषि भूमि सहित उक्त कृषि भूमि कुल तादादी 79.10 बीघा शेष रही। प्रार्थी की कृषि भूमि रजिस्टर्ड तमलीकनामा दिनांक 28.05.1973 से प्राप्त 17 बीघा व स्वर्गीय देवाराम की मृत्यु के पश्चात देवाराम के 1/4 हिस्सा (15 बीघा 12 विश्वा) में से प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के बहिस्सा बराबर बराबर कृषि भूमि आती है, परन्तु प्रार्थी ने तमलीकनामा से प्राप्त व पिता के हिस्से से प्राप्त कुल 32.12 बीघा कृषि भूमि में स्वर्गीय देवाराम के समस्त वारिसान के होनी थी, जो कुल 5.08 बीघा कृषि भूमि गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में कम दर्शायी गई, जो खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 व 13 ने अपनी बहिनों अप्रार्थी संख्या 14 से 16 को इस कृषि भूमि बाबत पूर्व में ही भात, छूछक आदि में उनके हिस्से का रोकड़ी दे दिया, इसलिये स्वर्गीय देवाराम के हिस्से में नाम अप्रार्थी संख्या 14 से 16 का हटाया जाना न्यायोचित है। स्व. देवाराम के वारिसान प्रार्थी के 17 बीघा तमलीकनामा द्वारा स्वअर्जित कृषि भूमि व देवाराम के विरासतन 1/4 हिस्सा पैतृक कृषि भूमि (15 बीघा 12 विश्वा) में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 से 13 बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर कब्जा काश्त प्रार्थी का घोषित किया जाना न्यायोचित है। जो शुद्ध कर दर्ज किया जावे।

यह कि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय देवाराम के फौतगी के पश्चात प्रार्थी के 17 बीघा कृषि भूमि व प्रार्थी के पिता स्वर्गीय देवाराम के उक्त खसरा की शेष कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा (15 बीघा 12 विश्वा) दर्ज होकर स्वर्गीय देवाराम के वारिसान के प्रार्थी सहित कुल 32 बीघा 12 विश्वा कृषि भूमि दर्ज होनी थी। जो राजस्व रिकॉर्ड में गलती से कम दर्ज की गई, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के गलती से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गई। उक्त अंकन के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 उक्त कृषि भूमि को रहन, बैय, विक्रय, हस्तान्तरण, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी आदि की कार्यवाही करने पर आमदा है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है तथा इस कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष है, अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमियों में वादी के

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हिस्से में नुकसान कारित करते है तो प्रार्थी को अपूर्तिनिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में जि
अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को रोका जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दा
अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो खसरा नम्बर 28
597/428, 598/428, 599/428, 1019/432, 1020/432, 1021/432, 1022/424
1023/424 रकबा कमशः 4.12 बीघा, 15.18 बीघा, 27.04 बीघा, 11.10 बीघा, 4.05 बीघा,
04 बीघा, 4.04 बीघा, 3.16 बीघा व 3.17 बीघा कुल रकबा 79.10 बीघा रोही बूंटिया तहसी
व जिला चूरू को रहन, बैय, विकृय, हस्तान्तरण, नहीं करे ना ही सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी आ
की कार्यवाही करे, ना ही ऐसा कोई कार्य या उप कार्य करे जिससे प्रार्थी के हितों प
विपरीत असर पड़ें। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने सुनवाई हो जावे, व
भी उसे दिलवाया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार ए
श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की
गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश
किया एवं अप्रार्थी सं. 6 की ओर से पंकजसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 2 से 5
व 7 से 18 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये जिस पर उनके खिलाफ
एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने सूची के संलग्न सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी
आदेश दिनांक 06.06.18, तहसीलदार, चूरू द्वारा जारी नोटिस दिनांक 12.03.19 की छाया
प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब हेतु समय चाहा
जो दिया गया। दिनांक 05.04.19 को वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय
दस्तावेजात् पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 में
लिखे गये तथ्य प्रार्थी द्वारा इसी अनवान का दावा जरूर प्रस्तुत किया गया है परन्तु दावा
गलत आधार लेकर पेश किया गया है। दावा प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। यह कि
प्रा0पत्र की मद सं. 2 में लिखे तथ्य प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 जो स्वर्गीय
मालाराम के वारिसान जरूर हैं। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 3 में दर्ज कथन अस्पष्ट होने के
कारण अस्वीकार हैं। सही हकीकत यह है कि स्व. माला वल्द दुला माली जो कि प्रार्थी एवं
अप्रार्थीगण का पूर्वज रहा है, उसके खातेदारी के खेत ख.नं. 144 तादादी 85 बीघा 4 विश्वा
की खातेदारी रही। सेटलमेण्ट सन् 68–69 में पुराने ख.नं. 144 के नये ख.नं. 424 तादादी 7
बीघा 13 विश्वा, ख.नं. 432 तादादी 12 बीघा 13 विश्वा, ख.नं. 428 तादादी 54 बीघा 12
विश्वा, ख.नं. 285 तादादी 4 बीघा 12 विश्वा, ख.नं. 430 तादादी 4 बीघा 5 विश्वा वाके रोही
बूंटिया तहसील चूरू की कृषि भूमि 85 बीघा 4 विश्वा में से 4 बीघा 5 विश्वा गैर मुमकिन
रास्ता दर्ज किया गया व शेष कृषि भूमि 79 बीघा 10 विश्वा वाके रोही बूंटिया तहसील चूरू
की खातेदारी स्व. मालाराम की खातेदारी रही है जिसका विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती राजस्व
अभियान कैम्प बूंटिया में प्रार्थी प्रार्थी महावीरप्रसाद व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 18 की सहमति
स्वरूप दिनांक 25.12.1978 को सक्षम राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्णय किया जाकर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सम्पूर्ण कृषि भूमि का अलग अलग विभाजन किया गया जिसमें प्रार्थी महावीरप्रसाद सहमति व स्वीकृति रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं ब है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 4 में वर्णित तमाम कथन अस्पष्ट रूप से दर्ज किये जाने अस्वीकार हैं। राजस्व अभियान कैम्प बूंटिया में दिनांक 25.12.1978 को सक्षम राज अधिकारी द्वारा वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का वाद महावीरप्रसाद द्वारा पेश किया गया जिसका निर्णय दिनांक 25.12.1978 को किया ग जिसकी पालना में नायब तहसीलदार महोदय, चूरू द्वारा इन्तकाल संख्या 91 में खेत ख 424 तादादी 7 बीघा 13 विश्वा, ख.नं. 432 तादादी 12 बीघा 13 विश्वा कुल 20 बीघा विश्वा स्व. नेतराम के वारिसान अप्रार्थी सं. 4 ता 9 के नाम अलग विभाजित की गई तथा नं. 285 तादादी 4 बीघा 12 विश्वा, ख.नं. 428 की तादादी में से 11 बीघा 10 विश्वा कु तादादी 16 बीघा 2 विश्वा अप्रार्थी सं. 2 वा 3 के पिता लिछमणराम के नाम विभाजित ह तथा ख.नं. 428 की कुल तादादी में से अप्रार्थी सं. 1 के पिता भूराराम के नाम से 15 बी 18 विश्वा की कृषि भूमि विभाजन में आई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 10 से 17 के विभाज में ख.नं. 428 की शेष 27 बीघा 4 विश्वा प्रार्थी महावीरप्रसाद के पिता देवाराम 1/2 हिस्स तथा प्रार्थी महावीरप्रसाद के 1/2 हिस्सा भूमि विभाजन निर्णय अनुसार चली आ रही है उक्त निर्णय दिनांक 25.12.1978 में विभाजित कृषि भूमि मौके पर विभाजन अनुसार कब्ज काश्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण का चला आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानून पोषणीय नहीं है खारिज योग्य है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 5 में दर्ज तथ्य अस्पष्ट व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार हैं। सही हकीकत यह है कि प्रार्थी द्वारा जो तथाकथित तमलीकनामा सन् 1973 का 17 बीघा बाबत बतलाया गया है वह तमलीकनामा कानूनन सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में तमलीकनामा बाबत कोई प्रावधान नहीं दिया गया है और न ही तमलीकनामा से प्रार्थी को खातेदारी अधिकार हासिल होते हैं। पुराने ख.नं. 144 तादादी 85 बीघा 4 विश्वा में से सेटलमेण्ट द्वारा कदीमी चले आ रहे रास्ते का रकबा जो ख.नं. 430 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के कारण शेष भूमि 79 बीघा 10 विश्वा रही। प्रार्थी का प्रस्तुत वाद रिकार्ड दुरूस्ती आदि बाबत कानूनन चलने योग्य नहीं है क्योंकि इसी वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का वाद दिनांक 25.12.1978 को निर्णय हो चुका है उस निर्णय व डिक्री की अनुपालना में खाता विभाजन होकर अलग अलग खातेदारी 40 वर्षों से मौके पर चली आ रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त तथा अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त कतई रूप से साबित नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 6 में दर्ज तमाम तथ्य गलत दर्ज किये गये हैं इसलिए अस्वीकार हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ता 9 के नाम राजस्व अभिलेख में गलत रिकार्ड दर्ज करने का कथन बनावटी व झूठा दर्ज किया गया है। राजस्व अभियान में प्रार्थी महावीरप्रसाद की सहमति व स्वीकृति से जो निर्णय दिनांक 25.12.78 के अनुसार राजस्व अभिलेख में निर्णय की पालना में अलग खाता विभाजन किया गया है ऐसी स्थिति में 40 वर्ष बाद पुनः उजर उठाने बाबत प्रार्थी को कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नहीं है। इसलिए प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि अप्रार्थी सं. 1 ख
नं. 597/428 तादादी 4.0221 हैक्टेयर (15 बीघा 18 विश्वा) का अकेला खातेदार काश्तका
चला आ रहा है। इस खेत की सीमा में पत्थरगढी व सीमा ज्ञान हेतु अप्रार्थी धन्नाराम ने एव
प्रार्थना पत्र संख्या 450/2017 जो श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय चूरू के न्यायालय
द्वारा दिनांक 06.06.2018 को स्वीकृत किया गया जिसकी पालना में दिनांक 04.04.2019 को
उक्त ख.नं. की पैमाईश व नपती कर मौके पर सिलपट्टियों की पत्थरगढी गिरदावर हल्का
व पटवारी हल्का द्वारा पुलिस की मौजूदगी में सिलपट्टियां रोप कर की गई है। प्रार्थी व
अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 17 जो कि अप्रार्थी धन्नाराम से नाराज रहते हैं जो अप्रार्थी धन्नाराम
की कृषि भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से यह प्रकरण पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में लिखे तथ्य सद्भाविक न होकर बनावटी हैं। इसलिए अस्थायी
निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का
अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 का जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाकर
प्रार्थना पत्र में आदेश जारी करने का निवेदन किया गया जिस पर वकील प्रार्थी व वकील
अप्रार्थी सं. 1 की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही बहस
मानने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी सं. 6 का जवाब पेश नहीं होने से प्रा0पत्र का अन्तिम
निर्णय नहीं किया जा सका। अप्रार्थी सं. 6 को जवाब हेतु काफी अवसर व समय प्रदान
किया गया परन्तु वकील अप्रार्थी सं. 6 की ओर से ना तो जवाब पेश किया गया एवं ना ही
वकालतनामा पेश किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 6 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली
बहस हेतु नियत की गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र पर
वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में
अंकित तथ्यों को ही मेरी बहस माना जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना
पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का
खाता विभाजन अपनी सहमति व स्वीकृति से प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में विभाजन के
अनुसार सभी खातेदार अपने अपने विभाजित हिस्सों व खातेदारी की कृषि भूमियों पर 40
वर्षों से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला किसी भी तरह से
प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अप्रार्थी सं. 1 ख.नं. 597/428 तादादी 4.0221
हैक्टेयर (15 बीघा 18 विश्वा) का अकेला रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा
अन्य अप्रार्थीगण भी अलग अलग खातेदार दर्ज हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का
सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष का ना होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में
बनता है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 के खेत का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी को
रोकने के लिए गलत एवं बनावटी आधारों पर पेश किया है जो किसी भी तरह से पोषणीय
नहीं है। अतः मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति तमलीकनामा दिनांक 28.05.73 में खसरा नं. 144 तादादी 85 बीघा 4 विश्वा रोही बूंटिया के तत्समय के खातेदार माला वल्द दुला द्वारा सेवा चाकरी से खुश होकर अपने पोते महावीरप्रसाद के पक्ष में 17 बीघा भूमि का तमलीकनामा करवाया जाना अंकित है। छाया प्रति फर्द अहकाम अपील सं. 38/2018 अनुवानी मनीराम बनाम धन्नाराम वगैरह न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के अवलोकन से जाहिर है कि धन्नाराम द्वारा करवाये गये पत्थरगढी आदेश की अपील माननीय न्यायालय में लम्बित है। छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2014 व 2020 ग्राम बूंटिया के अनुसार ख.नं. 144 तादादी 85.04 बीघा भूमि की खातेदारी माला वल्द दुला माली के नाम अंकित है। ग्राम बूंटिया के नामान्तरकरण सं. 65 दिनांक 25.06.78 के अनुसार माला वल्द दुला के स्वर्गवास होने पर वर्तमान ख.नं. 285, 424, 428, 432 कुल तादादी 79.10 बीघा रोही बूंटिया की खातेदारी माला के पुत्र–पुत्रियों व फौत पुत्र नेताराम के वारिसान के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण सं. 77 दिनांक 23.12.78 ग्राम बूंटिया के अनुसार राजस्व अभियान कैम्प बूंटिया में माला वल्द दुला द्वारा महावीरप्रसाद के पक्ष में करवाये गये 17 बीघा भूमि के तमलीकनामा से वर्तमान ख.नं. 285, 424, 428, 432 कुल तादादी 79.10 बीघा रोही बूंटिया के 1/5 हिस्से में प्रार्थी महावीर वल्द देवाराम का नाम दर्ज होना अंकित है। पर्चा लगान सम्वत् 2028 से 2048 ग्राम बूंटिया के अनुसार वर्तमान ख.नं. 285, 424, 428, 432 कुल तादादी 79.10 बीघा की खातेदारी माला वल्द दुला कौम माली के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम बूंटिया के ख.नं. 598/428 तादादी 6.8797 हैक्टेयर में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 10 से 17 खातेदार दर्ज हैं जिनमें प्रार्थी महावीरप्रसाद 1/2 हिस्सा का खातेदार अंकित है। छाया प्रति नकल नक्शा ख.नं. 285, 1022/424, 1023/424, 597/428, 598/428, 599/428, 1019/432, 1020/432, 1021/432 रोही बूंटिया का है तथा नकल नक्शा ख.नं. 597/428 जो अप्रार्थी सं. 1 का खातेदारी खेत का है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बूंटिया सम्वत् 2073 के ख.नं. 597/428 में अप्रार्थी धन्नाराम का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 285 में भंवरलाल पुत्र चूनाराम जाट का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 598/428 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 10 से 17 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 599/428 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 1019/432 में अप्रार्थी सं. 4 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 1020/432 में अप्रार्थी सं. 5 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 1021/432 में अप्रार्थी सं. 8 व 9 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 1022/424 में अप्रार्थी सं. 6 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है, ख.नं. 1023/424 में अप्रार्थी सं. 7 का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज है।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश छाया प्रति प्रा0पत्र सं. 450/2017 अनुवानी धन्नाराम बनाम राजस्थान सरकार आदि अन्तर्गत धारा 111, 128 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के आदेश दिनांक 06.06.2018 के अनुसार प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर धन्नाराम के खेत ख.नं. 597/428 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के आदेश जारी किये गये हैं। छाया प्रति पत्र कमांक 778 दिनांक 12.03.19 के अनुसार थानाधिकारी पुलिस थाना

उपखण्ड अधिक
चूरू

सदर चूरू से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाते समय शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस जाब्ता मय दो महिला कांस्टेबल भिजवाने हेतु लिखा गया है। छाया प्रति नामान्तरकरण सं. 91 दिनांक 25.12.78 ग्राम बूंटिया राजस्व अभियान कैम्प बूंटिया में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 285, 424, 428, 432 कुल तादादी 79.10 बीघा के तत्कालीन खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया जाना अंकित है जिसमें अन्य खातेदारों के खाते विभाजित होकर ख.नं. 428 मि. तादादी 27.04 बीघा का खाता देवाराम वल्द मालाराम 1/2 हि. व प्रार्थी महावीर वल्द देवाराम 1/2 हि. का खाता अलग कायम हुआ है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी ने जिस तमलीकनामा दिनांक 28.05.73 को आधार बनाकर दावा व यह प्रार्थना पत्र पेश किया है उस तमलीकनामा के आधार पर राजस्व अभियान कैम्प बूंटिया में दिनांक 25.12.78 को प्रार्थी महावीर का नाम वादगत कृषि भूमि के 1/5 हिस्सा में जरिये नामान्तरकरण सं. 77 दिनांक 23.12.78 को दर्ज हो चुका है तथा उसी कैम्प में तत्कालीन खातेदारों, जिनमें प्रार्थी महावीर भी शामिल रहा है, ने आपसी सहमति से अपने अपने खातेदारी हिस्सों के अनुरूप खाता विभाजन करवा कर अलग खाते व लगान कायम करवाये हैं जो कि ग्राम बूंटिया के नामान्तरकरण सं. 91 दिनांक 25.12.78 से स्पष्ट जाहिर होता है। उक्त खाता विभाजन के बाद से आदिनांक तक समस्त खातेदार अपने अपने हिस्सों पर पृथक् पृथक् रूप से काबिज रह कर काश्त कर रहे हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है। वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 10 से 17 का, अप्रार्थी सं. 1 का, अप्रार्थी सं. 2 व 3 का, अप्रार्थी सं. 4 का, अप्रार्थी सं. 5 का, अप्रार्थी सं. 6 का, अप्रार्थी सं. 7 का एवं अप्रार्थी सं. 8, 9 का अलग अलग खाते व खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे पूर्व में प्राप्त हो चुका है फिर भी अपने सुनवाई के अधिकार के मध्यनजर प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने दावा के निर्णय के बाद ही प्राप्त होगा। इसलिए बिना किसी ठोस एवं उचित कारण के रिकार्डेड खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं मानता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू